

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

गोवर्धन नाथ बनाम बाबूनाथ व अन्य

किस्म मुकदमा 75 मुकदमा नम्बर 22/2008.....राज

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.1.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र वास्ते अपील अबैट होने से निरस्त फरमाये जाने पर सुना गया। वकील रेस्पोजेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपील में रेस्पोजेन्ट संख्या 2 बाबूनाथ पुत्र कानानाथ की मृत्यु दिनांक 27.10.2016 को एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 4 सूजानाथ पुत्र हजारी नाथ की मृत्यु दिनांक 29.7.2015 को हो चुकी है। उपरोक्त कथन स्वयं अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दिवानी दिनांक 7.11.2016 से सिद्ध है। उपरोक्त अपील में रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 4 की मृत्यु होने की जानकारी होने के बावजूद भी आज दिनांक तक उनके विधिक वारिसानो को रेकार्ड पर लाने हेतु कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि मृतक के वारिसानो को रेकार्ड पर लेने हेतु कायम मुकाम की कार्यवाही करने की मियाद 90 दिन की निर्धारित है। कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने से उपरोक्त अपील अबैट हो जाने से निरस्त हेतु निवेदन किया गया। वकिल अपीलान्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2000 पेज 369 व ए आई आर 1983 सुपिम कोर्ट पेज 676 प्रस्तुत किये।</p> <p>वकिल अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 2 बाबूनाथ पुत्र कानानाथ की मृत्यु दिनांक 27.10.2016 एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 4 सूजानाथ पुत्र हजारीनाथ की मृत्यु दिनांक 29.7.2015 को हो चुकी है उसकी अपीलांट ने कायम मुकाम की कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी अपीलांट द्वारा नहीं की गई रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 4 के मध्य अपीलांट से विभिन्न रेवेन्यू मुकदमे विचाराधीन है इस कारण से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 4 व उसके वारिसान का अपीलांट के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना ही उनके एवं उनके वारिसान का नाम व पता अपीलांट की जानकारी में है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की गलती नहीं की है जबकि रेस्पोजेन्ट</p>	

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

